डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बाड़मेर) व इजलास कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 17 / 2022

1. महेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत
2. छैलसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत

निवासी सांवरडा तहसील समदडी जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादी

1 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक प्रतिनिधि समदडी

वाद हेतु घोषणा, निषेघाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188

निर्णय दिनांक : – 09.05.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हाजरी श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई प्रतिवादी अनुपस्थिति में पेश होकर वादीगण का वाद स्वीकार किया सरहद मौजा सांवरडा तहसील समदडी के खसरा नंबर 338,339,362,363,565,603 कुल रकबा 18.1138 हैक्टेयर का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम बतौर खातेदार छगन कंवर के स्थान पर दर्ज कर छगन कंवर का नाम हटाया जावे। । माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे।खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.05.2022 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर (S.D.O)
सिवाना

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

क्रमांक: वाचक / 2022 / 957

दिनांक : 12.05.2022

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

भूमिधारक तहसीलदार, समदडी

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर (S.D.O)

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना
पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या 17/2022

वादीगण

1. महेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत
2. छैलसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत
   निवासी सांवरडा तहसील समदडी जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादी

1 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक प्रतिनिधि समदडी

वाद हेतु घोषणा, निषेघाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188

उपस्थितः—

1. श्री अचलराम थोरी अधिवक्ता वादीगण

::निर्णय::

दिनांकः— 09.05.2022

वादीगण ने वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व रा.का.अ. की धारा 88,188 के तहत पेश किया है। वाद पत्र. का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम सावंरडा तहसील समदडी में कृषि भूमि खसरा सख्या 338,339,362,565, व 603 वर्तमान रकबा 18.1138 हैक्टयर पुराना रकबा 111.18 बीघा भूमि आई हुई है। वक्त सेटलमेन्ट में भूमि में एकल खातेदार राणसिंह पुत्र रावतसिंह रहे कजिनके देहानत होने पर उनकी पत्नि श्रीमती छगनकंवर के नाम फौतगी म्यूटेशन पारित हुआ,राणसिंह व छगनकंवर के कोई जायंदा संतान नहीं थी राणसिंह व दगनकंवर ताजिन्दगी वादीगण के पिता हरिसिंह एवं वादीगण के साथ ही रहे इनकी सेवा चाकरी हरिसिंह व वादीगण ने ही की,जिससे खुश होकर छगनकंवर ने अपने जीवनकाल में रूबरू मौजीज व्यक्तियों के लिखित वसीयतनामा दिनांक 20.12.2002 को वादीगण के हक में निष्पादित किया व असल वसीयतनामा का प्रलेख वसीयतनामा के गवाह भीलभारती को सुपुर्द किया,तदोपरान्त वादीगण के साथ रहते छगनकंवर का दिनांक 02.01.2003 को देहान्त हो गया,इसलिएउक्त वसीयत अंतिम होकर पुख्ता हो गई । वादीगण के पिता का दिनांक 19.03.2004 का देहान्त हो गया, वादीगण की आयु कम ही थी,मौके पर वादग्रस्त भूमियों पर निरन्तर सतत रूप से वादीगण ही काबिज काश्त थे, वादीगण के कब्जा काश्त में कभी कोई दखल/हसतक्षेप पहले किसी ने नहीं किया,इस कारण राजस्व रेकर्ड देखने की आवश्यकता नहीं हुई और असल वसीयतनामा भीमभारती के पास था, भीमभारती व वादीगण के परिवार के मध्य छोटी मोटी बात को लेकर अनबन हा गयी इस कारण भीमभारती ने वसीयतनाामा का प्रलेख वादीगण को नहीं दिया इस कारण वादीगण के नाम उक्त भूमि का नामान्तरकरण नहीं हो सका। छगनकंवर के देहान्त होने के बाद वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण नहीं भरे जाने से वादग्रस्त भूमि छगनकंवर के नाम दर्ज होने से प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि को सरकारी सम्पति घोषित करवाये जाने हेतु प्रयासरत है। छगनकंवर वादीगण के पिता की सगी बहन तथा वादीगण की सगी बुआ थी छगनकंवर के कोई जायंदा संतान नहीं होने के कारण उक्त सम्पत्ति की वसीयत स्वेच्छा से वादीगण की सेवा चाकरी से खुश होकर वादीगण के नाम निष्पादित की वादीगण के पास उक्त सम्पति के अलावा अन्य कोई सम्पति नहीं है,यदि उक्त सम्पति से वादीगण को बेदखल कर दिया जाता है तो वादीगण को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन मुद्रा या अर्थ में करना संभव नहीं रहेगा । इसलिए उक्त वाद न्यायालय श्री में प्रस्तुत किया गया है। वादीगण का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

प्रतिवादी के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपिस्थत रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण वकील द्वारा अपने वाद के समर्थन में वादी साक्ष्य पी.डब्लू 1 महेन्द्र,पीडब्लू 2 भीम भारती, पी डब्लू 3 लखसिंह के बयान कलमबंद्व करवाया जाकर प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2077–2080,खसरा संख्या 338 का नक्शा एवं जमाबंदी प्रदर्श 2, खसरा संख्या 339 का नक्शा एवं जमाबंदी प्रदर्श 3, खसरा संख्या 362 का नक्शा एवं जमाबंदी प्रदर्श 4, खसरा संख्या 363 का नक्शा एवं जमाबंदी प्रदर्श 5, खसरा संख्या 565 का नक्शा एवं जमाबंदी प्रदर्श 6, खसरा संख्या 603 का नक्शा एवं जमाबंदी प्रदर्श 7, वसीयत नामा की प्रति प्रदर्श 8 ए , मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श 9 पेश किये।

बहस वकील वादी की सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद प्रत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं माफिक इस्तदुआ वाद डिगरी करने का निवेदन किया।

हमने बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों व साक्ष्य वादी का अवलोकन व अध्ययन किया।

वादीगण वर्तमान वाद में कथन लेकर आया कि छगन कंवर ने उक्त जमीन अपने जीवन काल में जरिये लिखित वसीयतनामा वादीगण के हक में वसीयत कि गई थी। असल वसीयतनामा का प्रलेख गवाह भीमभारती के पास था, भीमभारती व वादीगण के परिवार के मध्य छोटी बडी बात को लेकर अनबन हो गई इस कारण भीमभारती ने वसीयतनामा का प्रलेख वादीगण को नहीं दिया इस कारण वादीगण के नाम उक्त भूमि का नामान्तरण नहीं हो सका। वादीगण क़े उक्त कथन का समर्थन गवाह भीमभारती बतौर साक्षी उपस्थित होकर कर रहा है। पत्रावली में जो साक्ष्य वादीगण की और से पेश हुई उसका कोई खंडन नहीं है और न ही पत्रावली पर आई साक्ष्य को नहीं मानने का कोई कारण विद्यमान है। वादीगण ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर बखुबी साबित किया है। वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर सरहद मौजा सांवरडा तहसील समदडी के खसरा नंबर 338,339,362,363,565,603 कुल रकबा 18.1138 हैक्टेयर का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम बतौर खातेदार छगन कंवर के स्थान पर दर्ज कर छगन कंवर का नाम हटाया जावे। डिगरी पर्चा जारी हो।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

निर्णय दिनांक 09.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना